



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-26042024-253871
CG-MH-E-26042024-253871

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 281]
No. 281]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 26, 2024/वैशाख 6, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 26, 2024/VAISAKHA 6, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 26 अप्रैल, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(अनुसंधान विश्लेषक) (संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/170.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से नब्बेवें दिन से लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 में,-
 - विनियम 6 में, खंड (x) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(xi) क्या आवेदक विनियम 14 के तहत मान्यताप्राप्त निकाय (बॉडी) या निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के यहाँ सूची में शामिल है:

परंतु यह कि मौजूदा अनुसंधान विश्लेषकों (रिसर्च एनालिस्ट) और अनुसंधान (रिसर्च) एंटीटियों को ऐसे निकाय (बॉडी) या निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के यहाँ सूची में उस तारीख से शामिल माना जाएगा, जिस तारीख से उस निकाय (बॉडी) या निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) को मान्यता प्रदान की जाए:

परंतु यह और कि जिस आवेदक का आवेदन विनियम 14 के तहत निकाय (बॉडी) या निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) को मान्यता प्रदान किए जाने की तारीख से पहले प्राप्त हो जाए, किंतु जिसे ऐसे निकाय (बॉडी) या निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) को मान्यता प्रदान किए जाने की तारीख के बाद प्रमाणपत्र प्रदान किया जाए, उसके बारे में यही माना जाएगा कि वह उस निकाय (बॉडी) या निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के यहाँ सूची में शामिल है।”

II. विनियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“अनुसंधान विश्लेषकों का पर्यवेक्षण आदि करने के लिए किसी निकाय (बॉडी) या निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) को मान्यता प्रदान किया जाना

14. (1) बोर्ड किसी निकाय (बॉडी) या निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) को अनुसंधान विश्लेषकों का पर्यवेक्षण आदि करने के लिए मान्यता प्रदान कर सकेगा, उन शर्तों आदि पर और उतना जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।

(2) बोर्ड यह उल्लेख कर सकेगा कि कोई भी व्यक्ति अनुसंधान विश्लेषक के रूप में तब तक कार्य नहीं करेगा, जब तक कि वह व्यक्ति मान्यताप्राप्त निकाय (बॉडी) या निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के यहाँ सूची में शामिल न हो जाए, और ऐसी परिस्थिति में इन विनियमों के प्रावधान और ऐसे निकाय (बॉडी) या निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) की उप-विधियाँ (बाय-लॉज) या संबंधित प्रावधान उस अनुसंधान विश्लेषक पर लागू होंगे।”

III. दूसरी अनुसूची में,-

i. पैरा सं. 1 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा आ जाएगा, अर्थात्,-

“1. प्रत्येक आवेदक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन के साथ निम्नानुसार आवेदन फीस (जो लौटाई नहीं जाएगी) अदा करेगा:

i. व्यक्तियों और भागीदारी फर्मों हेतु: ₹2,000;

ii. परोक्षी (प्रॉक्सी) सलाहकार फर्मों हेतु: ₹2,000;

iii. निगमित निकायों (बॉडी कारपोरेट) [जिनमें सीमित दायित्व भागीदारियाँ (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप) भी शामिल हैं] हेतु: ₹20,000।”

ii. पैरा सं. 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा आ जाएगा, अर्थात्,-

“2. प्रत्येक आवेदक बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के समय निम्नानुसार रजिस्ट्रीकरण फीस अदा करेगा:

i. व्यक्तियों और भागीदारी फर्मों हेतु: ₹3,000;

ii. परोक्षी (प्रॉक्सी) सलाहकार फर्मों हेतु: ₹3,000;

iii. निगमित निकायों (बॉडी कारपोरेट) [जिनमें सीमित दायित्व भागीदारियाँ (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप) भी शामिल हैं] हेतु: ₹30,000।”

iii. पैरा सं. 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा आ जाएगा, अर्थात्,-

“3. जिस अनुसंधान विश्लेषक (रिसर्च एनालिस्ट) को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया हो, वह अपना रजिस्ट्रीकरण जारी रखने के लिए, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने की तारीख से या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2016 के प्रारंभ होने से पहले रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जिस तारीख को प्रदान किया गया हो उस तारीख से, प्रत्येक पाँच वर्ष हेतु निम्नानुसार फीस अदा करेगा, और यह फीस उस अवधि के समाप्त होने की तारीख से तीन महीने पहले अदा की जाएगी जिस अवधि के लिए फीस अदा की जा चुकी हो, और जो एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस के जरिए या ऑनलाइन ही सेबी के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके या किसी अन्य माध्यम (जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) से अदा की जाएगी:

- i. व्यक्तियों और भागीदारी फर्मों हेतु: ₹1,000;
- ii. परोक्षी (प्रॉक्सी) सलाहकार फर्मों हेतु: ₹1,000;
- iii. निगमित निकायों (बॉडी कारपोरेट) [जिनमें सीमित दायित्व भागीदारियाँ (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप) भी शामिल हैं] हेतु: ₹5,000।”

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./50/2023-25]

पाद टिप्पणः

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/07/1414 द्वारा, 1 सितम्बर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 तत्पश्चात्,-
 - क. 8 दिसम्बर, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/023, द्वारा
 - ख. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
 - ग. 16 मार्च, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) (संशोधन) विनियम 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/09, द्वारा
 - घ. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
 - ङ. 17 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नियंत्रण में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/115, द्वारा
 - च. 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा

- छ. 3 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा
- ज. 17 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/146, द्वारा संशोधित हुए थे।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
NOTIFICATION**

Mumbai, the 26th April 2024

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
(RESEARCH ANALYSTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2024**

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/170.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 read with clause (b) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014, namely, –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) (Amendment) Regulations, 2024.
2. They shall come into force on the ninetieth day from the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014, –

I. in regulation 6, after clause (x), the following clause shall be inserted, namely,–

“(xi) whether the applicant is enlisted with a body or body corporate recognised under regulation 14:

Provided that the existing research analysts and research entities shall be deemed to be enlisted with such a body or body corporate from the date of recognition of such a body or body corporate:

Provided further that the applicant whose application is received before the date of recognition of the body or body corporate as provided under regulation 14 and who is granted the certificate after the date of recognition of such body or body corporate shall also be deemed to be enlisted with such a body or body corporate.”

II. regulation 14 shall be replaced with the following regulation, namely,–

“Recognition of body or body corporate for administration and supervision of research analysts.

14. (1) The Board may recognize a body or body corporate for the purpose of administration and supervision of research analysts to such extent and on such terms and conditions as may be specified by the Board.

(2) The Board may specify that no person shall act as a research analyst unless such a person is enlisted with the recognized body or body corporate and in such an event, the provisions of these regulations and the specified provisions of the bye-laws or articles of such a body or body corporate shall apply to the research analyst.”

III. In the Second Schedule, –

i. paragraph no. 1 shall be substituted with the following paragraph, namely,–

“1. Every applicant shall pay the non-refundable application fee along with the application for grant of the certificate of registration as under:

- i. For individuals and partnership firms: ₹ 2,000;
- ii. For proxy advisory firms: ₹ 2,000;
- iii. For body corporates including Limited Liability Partnerships: ₹ 20,000.”

ii. paragraph no. 2 shall be substituted with the following paragraph, namely,–

“2. Every applicant shall pay registration fee at the time of grant of certificate of registration by the Board as under:

- i. For individuals and partnership firms: ₹ 3,000;
 - ii. For proxy advisory firms: ₹ 3,000;
 - iii. For body corporates including Limited Liability Partnerships: ₹ 30,000.”
- iii. paragraph no. 3 shall be substituted with the following paragraph, namely,-

“3. A research analyst who has been granted a certificate of registration, in order to keep its registration in force, shall pay the following fee every five years, from the date of grant of the certificate of registration or from the date of grant of the certificate of registration prior to the commencement of the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016, as the case may be, within three months before the expiry of the period for which fee has been paid by way of direct credit into the bank account through NEFT/RTGS/IMPS or online payment using the SEBI Payment Gateway or any other mode as may be specified by the Board from time to time:

- i. For individuals and partnership firms: ₹ 1,000;
- ii. For proxy advisory firms: ₹ 1,000;
- iii. For body corporates including Limited Liability Partnerships: ₹ 5,000.”

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./50/2024-25]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014, were published in the Gazette of India on September 01, 2014 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2014-15/07/1414.
2. The Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014 were subsequently amended on, –
 - a. 8th December, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/023.
 - b. 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - c. 16th March, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) (Amendment) Regulations, 2021 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/09.
 - d. August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
 - e. 17th January 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Change in Control in Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/115.
 - f. February 7, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.
 - g. 3rd July 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/137.
 - h. 17th August 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146.